22-11-22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.
अप्रार्थी सं. 1 व 2 मय गुड सूचना अनु.
अप्रार्थी सं. 1 व 2 का जवाब बन्द किया
जाकर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अमल में लाई गई। प्रार्थीगण की एक
पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थीगण के अधिवक्ता
ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते
हुए अप्रार्थीगण को वाद का निर्णय होने
तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये
जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डनात्मक
जवाब पेश नहीं किये जाने प्रार्थना पत्र
में अंकित तथ्यो को सही मानते हुए प्रतिवादीगण
अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि
वह विवादित आराजी खसरा नं 166, 167, 180
192, 254, 275, 276, 277, 562, 568, 839
840, 235, 237, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 268, 272, 273, 274
वाके ग्राम खेड़ियामान तहसील इन्द्रगढ़ में
स्थित कृषिभूमि की राजस्व रिकार्ड व मौके की
यथा स्थिति बनाये रखे उभयपक्ष राजस्व
रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन

P.T.O

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नहीं करे। पत्रावली कैसिल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी